



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21885

इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

आपराधिक अपील संख्या - 2435 वर्ष 1984

राम नारायण एवं अन्य

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता : पंकज कुमार शुक्ला, अमित डागा, जितेन्द्र कुमार रावत, के.एन. सक्सेना

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 39

एएफआर

निर्णय सुरक्षित किया गया : 21.01.2026

निर्णय सुनाया गया : 02.02.2026

माननीय न्यायमूर्ति अनिश कुमार गुप्ता

1. श्री अमित डागा, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें अपीलकर्ता संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री बिहान पाण्डेय द्वारा सहायता प्रदान की गई; अपीलकर्ता संख्या-3 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार रावत; अपीलकर्ता संख्या-5 की ओर से श्री भृगुराम जी पाण्डेय; अपीलकर्ता संख्या-4 की ओर से न्यायालय मित्र श्री पंकज कुमार शुक्ला तथा राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.एस. चौहान को सुना गया।

2. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ताओं द्वारा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 107 वर्ष 1982 (राज्य बनाम राम नारायण एवं 11 अन्य) में दिनांक 21.08.1984 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा वर्तमान सभी अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया था। अपील के विचाराधीन रहने के दौरान

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपीलकर्ता संख्या-1 राम नारायण का निधन हो गया, फलस्वरूप दिनांक 19.02.2018 के आदेश द्वारा उनकी अपील निरस्त कर दी गई।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि दिनांक 09.06.1981 को अपराह्न 2:30 बजे वादी राजा राम ने थाना कोतवाली, जनपद झाँसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। उसमें कहा गया कि वादी तथा उसका पुत्र गोविन्द राम हत्या के एक मुकदमे में फँसा दिए गए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। दिनांक 04.06.1981 को उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के पश्चात वादी जेल से रिहा हुआ। जब वह झाँसी स्थित न्यू बस्ती स्थित अपने घर पहुँचा, तब उसकी मुलाकात अपने लगभग 19 वर्षीय पुत्र शिव नारायण तथा वर्तमान अपीलकर्ता संख्या-5 कम्मद काछी से हुई। अपीलकर्ता संख्या-5 कम्मद काछी ने वादी को बताया कि राम नारायण आदि, जिन्होंने झूठे मुकदमे में वादी और उसके पुत्र को फँसाया था, अब अपने किए पर पछता रहे हैं और चाहते हैं कि वादी गाँव आए ताकि समझौता कराया जा सके तथा गोविन्द राम की भी जमानत हो सके। यह सुनकर वादी ने कहा कि उक्त व्यक्तियों की उससे और उसके परिवार से गहरी शत्रुता है, इसलिए वे छल एवं बहकावे से कोई अनिष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। उसने अपने पुत्र शिव नारायण को गाँव न जाने की चेतावनी दी।

4. दिनांक 05.06.1981 को जिलाधिकारी न्यायालय में पेशी के बाद वादी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ गाँव दतावली चला गया। दिनांक 07.06.1981 को जब वह न्यू बस्ती स्थित अपने घर वापस लौटा, तब उसे पता चला कि उसका पुत्र शिव नारायण घर पर नहीं है। उसने आसपास पूछताछ की। पूछताछ में भागीरथ और लखन सिंह ने बताया कि शनिवार दिनांक 06.06.1981 को लगभग दोपहर 2 बजे उन्होंने शिव नारायण को कम्मद (अपीलकर्ता संख्या-5) के साथ मोटर स्टैंड के पास कचहरी चौराहे की ओर जाते देखा था। जब उन्होंने शिव नारायण से पूछा, तो उसने बताया कि कम्मद उसे मुकदमे के समझौते के लिए गाँव ले जा रहा है। उस समय शिव नारायण के पास एक साइकिल थी और उसने हाथ में घड़ी भी पहन रखी थी। अगले दिन वादी अपने पुत्र का पता लगाने गाँव गया, किन्तु कोई सुराग नहीं मिला। उसने विभिन्न स्थानों पर उसकी खोजबीन जारी रखी। जब वह उसे नहीं खोज पाया तो रात्रि लगभग 8:30 बजे झाँसी वापस लौट आया, यह सोचकर कि सम्भवतः उसका पुत्र झाँसी आ गया होगा। किन्तु वह घर नहीं पहुँचा। तब वादी ने आशंका व्यक्त की कि राम नारायण, भगवत, गोपाल दास और दराले से उसकी शत्रुता थी और सम्भवतः उन्होंने कम्मद के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा होगा तथा शिव नारायण को गाँव बुलाया होगा। चूँकि वादी और उसका बड़ा पुत्र जेल में थे, इसलिए शिव नारायण गाँव चला गया। वादी को आशंका हुई कि उक्त अभियुक्तों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके पुत्र शिव नारायण की

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हत्या कर दी होगी। अतः मामले की जाँच की जाए। उक्त सूचना के आधार पर राम नारायण, भगवत, गोपाल दास तथा दराले के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

5. इसके पश्चात दिनांक 24.09.1981 को मारी माते के पुत्र रामस्वरूप उर्फ भुन्नी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मोठ, झाँसी के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत अपना इकबालिया बयान दिया। उसने कहा कि लगभग तीन माह पूर्व वह अपने गाँव के निवासी प्रभु के घर पर था और प्रभु भी वहीं मौजूद था। तभी राम नारायण वहाँ आया और उसने दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहा। इसके बाद गवाह रामस्वरूप और प्रभु अपनी-अपनी लाठियाँ लेकर राम नारायण के साथ चल पड़े। उस समय लगभग रात के 8-9 बजे थे। गाँव की ओर नहर के पास पहुँचने पर उन्हें भोले उर्फ लल्लू, भगवत और जगदीश तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिले। भोले के पास भाला था, जगदीश के पास कुल्हाड़ी थी तथा भगवत के पास खुला चाकू था। तीन अज्ञात व्यक्तियों में से एक के पास देशी तमंचा था। राम नारायण के हाथ में लाठी और टॉर्च थी। इसके बाद सभी लोग कम्मद के बाग की ओर गए। राम नारायण ने दूर से टॉर्च की रोशनी की। तब कम्मद वहाँ आया और शिव नारायण उसके पास बैठा हुआ था। सभी को देखकर शिव नारायण भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन कम्मद ने उसका हाथ पकड़ लिया और सभी लोग उसके पास पहुँच गए। जब शिव नारायण ने शोर मचाने का प्रयास किया तो जगदीश ने उसके मुँह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। इसके बाद वे उसे गाँव के खेतों में स्थित एक कुएँ के पास ले गए, जहाँ जगदीश और लल्लू ने उसे कुएँ में धकेल दिया। शिव नारायण का एक हाथ भगवत ने पकड़ रखा था, दूसरा हाथ प्रभु ने, एक पैर लल्लू ने तथा दूसरा हाथ राम नारायण ने पकड़ रखा था। तभी जगदीश ने कुल्हाड़ी से शिव नारायण की गर्दन पर प्रहार किया, जिससे उसकी गर्दन आधी कट गई और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उस समय गवाह अभियुक्तों के साथ खड़ा था। इसके बाद जगदीश तथा अन्य अभियुक्तों ने शव और कुल्हाड़ी को उसी कुएँ में फेंक दिया तथा एक भाला भी कुएँ में डाल दिया। फिर राम नारायण और जगदीश समथर की ओर चले गए तथा उनके साथ अन्य तीन व्यक्ति भी चले गए। जगदीश ने गवाह, प्रभु और कम्मद को अपने-अपने घर जाने के लिए कहा और वे रात लगभग 12 बजे अपने घर लौट आए। अगले दिन शाम लगभग 6-7 बजे राम नारायण पुनः उसके पास आया और प्रभु को बुलाकर कहा कि शव कुएँ में ऊपर तैर रहा है और उसे समाप्त करना आवश्यक है। इसके बाद गवाह प्रभु के घर गया, किन्तु वह वहाँ नहीं मिला। इसी बीच राम नारायण और कम्मद भी उसके घर आ गए। तत्पश्चात तीनों लोग कुएँ के पास पहुँचे, जहाँ दराले की बैलगाड़ी खड़ी थी। कुएँ

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के पास दराले, धन सिंह, बद्री, गोपाल दास, गोविन्द, जगदीश, भोले उर्फ लल्लू तथा भगवत उपस्थित थे। लल्लू और जगदीश कुएँ में उतरे और शव को बाहर निकाला। शव को दराले की बैलगाड़ी में रखा गया। गोपाल दास ने कहा कि वह पेट्रोल लेकर आया है और कुएँ के पास जो खून पड़ा था, उस पर उसने पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

6. आग बुझ जाने के बाद अभियुक्तगण शव को बैलगाड़ी पर रखकर कुएँ के पश्चिम दिशा की ओर ले गए। जब वे समथर नहर के निकट पहुँचे, तब वहाँ से वे वजीता नाले की ओर चले गए। बैलगाड़ी से शव को उतारने के बाद राम नारायण वजीता गया, जहाँ उसकी मुलाकात राजेन्द्र सिंह के घर पर बृज किशोर, कौशल किशोर तथा गौरी शंकर से हुई। वहाँ राजेन्द्र सिंह भी उपस्थित था। राम नारायण ने राजेन्द्र सिंह से लकड़ियों की व्यवस्था करने को कहा। इस पर राजेन्द्र सिंह अपने नौकर तथा बृज किशोर, गौरी शंकर और कौशल किशोर के साथ लकड़ियाँ लेकर आया। राजेन्द्र सिंह के पास एक नाली की बन्दूक थी, राम नारायण सिंह के पास दो नाली की बन्दूक थी तथा गोविन्दी के पास भी बन्दूक थी। इन सभी ने मिलकर वजीता नाले के निकट शव को आग के हवाले कर दिया। गवाह ने आगे कहा कि प्रभु उसका बचपन का मित्र और रिश्तेदार है, इसलिए प्रभु ने अपने बयान में उसे बचा लिया। उसने यह भी बताया कि वह गोपाल दास के साथ सम्बद्ध था तथा गोपाल दास के पुत्र रामबाबू की हत्या के मामले में गोविन्द राम और राजाराम अभियुक्त थे। इसी कारण उन्होंने राजाराम के पुत्र शिव नारायण की हत्या कर दी। उपरोक्त बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना की, विभिन्न आपत्तिजनक/अभियोजन-संबंधी सामग्री बरामद की और तत्पश्चात दिनांक 22.10.1981 को आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।

7. आरोप-पत्र दाखिल होने के पश्चात मामला विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। दिनांक 28.04.1981 को विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तों के विरुद्ध चार समूहों में विभिन्न आरोप निर्धारित किए। प्रथम समूह के आरोप राम नारायण, भगवत, गोपाल दास, दराले, कम्मोद, जगदीश, धन सिंह, बद्री, गोविन्दी तथा रामस्वरूप के विरुद्ध लगाए गए। इस समूह में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 तथा धारा 149 सहपठित धारा 201 के आरोप सम्मिलित थे। द्वितीय समूह के आरोप राम नारायण, भगवत, प्रभु, जगदीश तथा रामस्वरूप के विरुद्ध धारा 147, धारा 149 सहपठित धारा 302 तथा धारा 149 सहपठित धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत निर्धारित किए गए। तृतीय समूह के आरोप कम्मोद, भगवत, प्रभु, रामस्वरूप तथा दराले के विरुद्ध धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 364 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 149 सहपठित धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 149

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सहपठित धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत निर्धारित किए गए। चतुर्थ समूह का आरोप जगदीश के विरुद्ध धारा 148, धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 149 सहपठित धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत निर्धारित किया गया। सभी अभियुक्तों ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की।

8. अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में निम्नलिखित गवाहों का परीक्षण कराया— पीडब्लू-1; वादी (सूचक) राजाराम। पीडब्लू -2 बाबूलाल : यह तथ्यात्मक गवाह है, जिसने शिव नारायण को कम्मोद के साथ देखा था। शिव नारायण ने उससे कहा था कि वह कम्मोद के साथ मुकदमे का समझौता करने गाँव जा रहा है। पीडब्लू -3 बाबू खाँ : इस गवाह ने शिव नारायण को अंतिम बार कम्मोद, भगवत, राम नारायण, जगदीश, प्रभु और भोले के साथ बातचीत करते हुए देखा था। इसके बाद वे लोग दतावली की ओर खेतों की दिशा में चले गए। पीडब्लू - 4 गबदू : इस गवाह ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया तथा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए अपने कथन की पुष्टि नहीं की। अतः उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया। पीडब्लू - 5 लक्ष्मण : इसने बयान दिया कि प्रभु कुछ दिनों तक उसके यहाँ काम करता था। एक दिन प्रभु बहुत उदास था। कारण पूछने पर उसने बताया कि उसने एक हत्या की है। इसके तुरन्त बाद इस गवाह ने प्रभु को काम से हटा दिया। इस प्रकार यह गवाह अभियुक्त अपीलकर्ता संख्या-3 प्रभु द्वारा किए गए न्यायेतर स्वीकारोक्ति का साक्षी है। पीडब्लू -6 सियाराम : इसने बताया कि प्रभु, पीडब्लू-5 लक्ष्मण के साथ काम करता था और बाद में उसे ज्ञात हुआ कि प्रभु गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गवाह को भी शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। पीडब्लू -7 नारायण दास : इसने कहा कि उसने न्यायालय परिसर में बस में बैठे हुए शिव नारायण को देखा था। इस गवाह को भी शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया।

9. पीडब्लू - 8 भागीरथ ने बयान दिया कि दिनांक 06.06.1981 को लगभग दोपहर 2 बजे उसने शिव नारायण को अभियुक्त कम्मोद के साथ देखा था तथा शिव नारायण ने उसे बताया था कि वह विवाद के समझौते के लिए कम्मोद के साथ जा रहा है। पीडब्लू -9 विजेन्द्र पाल, हेड कांस्टेबल, वह गवाह है जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। पीडब्लू -10 श्री पी.डी. अटल, प्रारम्भिक विवेचक थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने दिनांक 02.07.1981 तक विवेचना की थी और उनके स्थानान्तरण के बाद आगे की विवेचना थाना प्रभारी भुल्लन राम द्वारा की गई। हालांकि इस मुकदमे में भुल्लन राम का परीक्षण नहीं कराया गया। पीडब्लू -11 रौनक हुसैन वह गवाह है, जिसने अभियुक्त रामस्वरूप का धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज किया था। अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियुक्तों के

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कथन दर्ज किए गए। उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों का खण्डन किया। इसके पश्चात दिनांक 21.08.1984 के विवादित निर्णय एवं आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को अन्य सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया, किन्तु वर्तमान अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान आपराधिक अपील प्रस्तुत की गई।

10. अपीलकर्ता संख्या-2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित डागा ने जोरदार तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि यद्यपि अपीलकर्ता संख्या-2 का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है, तथापि उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गई है और एफ.आई.आर. मात्र आशंका के आधार पर दर्ज कराई गई थी। उन्होंने यह भी बलपूर्वक तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता संख्या-2 तथा वर्तमान अपीलकर्ता संख्या-1, 3 एवं 4 के विरुद्ध न तो धारा 364 भारतीय दण्ड संहिता और न ही धारा 365 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कोई आरोप निर्धारित किया था। प्रथम समूह के आरोप केवल धारा 147 तथा धारा 149 सहपठित धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत थे, जिनसे सभी अपीलकर्ता पहले ही दोषमुक्त किए जा चुके हैं। द्वितीय समूह के आरोप, जो अपीलकर्ता संख्या-1, 2, 3 और 4 तथा सह-अभियुक्त रामस्वरूप के विरुद्ध धारा 147, धारा 149/302 तथा धारा 149/201 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत निर्धारित किए गए थे, उनसे भी सभी अपीलकर्ता दोषमुक्त हो चुके हैं। तृतीय समूह के आरोपों का उल्लेख करते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह समूह भी चार भागों में विभाजित था। इसके प्रथम भाग में धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप था, जिससे सभी अभियुक्त बरी हो चुके हैं। तृतीय एवं चतुर्थ भाग, अर्थात् धारा 149/302 तथा धारा 149/201 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से भी सभी अभियुक्त दोषमुक्त हो चुके हैं। जहाँ तक तृतीय समूह के द्वितीय आरोप का संबंध है, वह केवल अपीलकर्ता संख्या-5 के विरुद्ध धारा 364 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत निर्धारित किया गया था और किसी अन्य अभियुक्त के विरुद्ध नहीं। अतः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क था कि जब अपीलकर्ता संख्या-2 के विरुद्ध धारा 364 अथवा धारा 365 भारतीय दण्ड संहिता का कोई आरोप निर्धारित ही नहीं किया गया, तब उसे धारा 365 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज कथनों, विशेष रूप से प्रश्न संख्या-4, का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वयं उस प्रश्न के अनुसार गवाह नरोत्तम और बाबू खाँ ने शिव नारायण को कम्मोद, राम नारायण, भगवत तथा भोले के साथ देखा था। किन्तु उसी प्रश्न में स्पष्ट रूप से यह भी उल्लेख किया गया है कि कम्मोद और शिव नारायण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पश्चिम दिशा की ओर गए थे, जबकि राम नारायण, भगवत और भोला दतावली गाँव की ओर चले गए थे। अतः "अंतिम बार साथ देखे जाने" के आधार पर भी अपीलकर्ताओं के विरुद्ध यह प्रश्न नहीं रखा गया कि शिव नारायण को अपीलकर्ताओं के साथ अंतिम बार देखा गया था; यह तथ्य केवल अपीलकर्ता संख्या-5 के संदर्भ में ही उभरता है।

11. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के तीन प्रमुख गवाह हैं, अर्थात् पीडब्लू -1 राजाराम, पीडब्लू -2 बाबूलाल तथा पीडब्लू -3 बाबू खाँ। जहाँ तक सह-अभियुक्त रामस्वरूप के उस बयान का संबंध है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, विचारण न्यायालय पहले ही उसे अस्वीकार कर चुका है, इसलिए उस कथन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य सभी आरोपों में अपीलकर्ता पहले ही दोषमुक्त किए जा चुके हैं। अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा पहले अपहरण किया गया हो और उसके बाद पीड़ित को गुप्त एवं अवैध रूप से निरुद्ध किया गया हो। वर्तमान मामले में अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलकर्ताओं ने किसी भी स्तर पर पीड़ित को अवैध रूप से निरुद्ध किया था। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को धारा 365 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध करना विधिसम्मत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित का शव अथवा स्वयं पीड़ित, न तो मृत अवस्था में और न ही जीवित अवस्था में बरामद किया गया। अभियोजन के किसी भी प्रमुख गवाह ने यह नहीं कहा कि अपीलकर्ताओं ने किसी भी समय पीड़ित को उसकी इच्छा के विरुद्ध अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा था।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का बयान दर्ज करना मात्र एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध प्रत्येक आपत्तिजनक साक्ष्य को उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक है। यदि जिन परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है, उन्हें धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन में अभियुक्त के समक्ष नहीं रखा गया हो, तो ऐसी दोषसिद्धि त्रुटिपूर्ण मानी जाएगी और उसे बनाए नहीं रखा जा सकता। वर्तमान मामले में न तो अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध है और न ही अपीलकर्ताओं से कोई प्रश्न पूछा गया कि उन्होंने पीड़ित को अवैध रूप से निरुद्ध किया था। अतः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 21.08.1984 का विवादित निर्णय एवं आदेश, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को धारा 365 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है, विधि की दृष्टि

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



में टिकाऊ नहीं है। इसलिए उक्त निर्णय एवं आदेश को निरस्त/अपास्त किया जाए तथा अपीलकर्ताओं को धारा 365 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से भी दोषमुक्त किया जाए।

13. अपीलकर्ता संख्या-3 प्रभु की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार रावत ने भी अपीलकर्ता संख्या-2 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित डागा द्वारा प्रस्तुत समस्त तर्कों का समर्थन एवं अंगीकरण किया।

14. अपीलकर्ता संख्या-4 की ओर से न्यायालय मित्र के रूप में उपस्थित **श्री पंकज कुमार शुक्ला ने शरद बिर्धिचंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116; कलि राम बनाम हिमाचल प्रदेश, (1973) 2 एससीसी 808; रामेन्द्र राजेश खन्ना रेड्डी बनाम ए.पी. राज्य, (2006) 10 एससीसी 172; दिलशाद बनाम उत्तराखंड राज्य, 2013 एससीसी ऑनलाइन युटीटी 1303; तथा राजस्थान राज्य बनाम कशी राम, (2006) 12 एससीसी 254** के निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया कि जब तक धारा 365 भारतीय दण्ड संहिता के कथित अपराध का शिकार व्यक्ति बरामद न हो जाए और वह स्वयं यह न बताए कि अभियुक्तों ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया था, तब तक किसी अभियुक्त को धारा 365 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में पीड़ित का शरीर न तो जीवित अवस्था में और न ही मृत अवस्था में बरामद हुआ है। इसलिए अपीलकर्ताओं को धारा 365 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध करना विधि के अनुरूप नहीं है और उन्हें दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

15. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में पीड़ित शिव नारायण को अपीलकर्ता संख्या-5 कम्मोद ने अन्य अपीलकर्ताओं के उकसावे पर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था, क्योंकि अपीलकर्ताओं की वादी तथा पीड़ित शिव नारायण से पुरानी शत्रुता थी। अतः अभियुक्तों के पास उक्त अपराध करने का पर्याप्त उद्देश्य था। सह-अभियुक्त रामस्वरूप द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए इकबालिया बयान में पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है।

16. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि पीडब्लू -3 बाबू खाँ ने स्पष्ट रूप से अपने बयान में कहा है कि उसने पीड़ित को अपीलकर्ताओं के साथ अंतिम बार देखा था और उसके बाद आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके अतिरिक्त, सह-अभियुक्त रामस्वरूप द्वारा धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए बयान में यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान अभियुक्तों ने ही

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पीड़ित को अवैध रूप से निरुद्ध किया, उसकी हत्या कर दी तथा बाद में मृत्यु के साक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से उसके शव को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने रामस्वरूप के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान को गलत ढंग से अस्वीकार कर दिया और परिणामस्वरूप अभियुक्तों को अन्य आरोपों से अनुचित रूप से दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन की कहानी के अनुसार अपीलकर्ताओं के पास घटना कारित करने का पर्याप्त उद्देश्य था। यद्यपि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 147, 148, 149/302 तथा 149/201 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया, किन्तु पाँच अपीलकर्ताओं को धारा 365 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध किया। अतः विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस मामले में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह अत्यन्त जघन्य प्रकृति का अपराध है। अभियुक्तों ने न केवल पीड़ित की निर्ममता से हत्या की, बल्कि उसके शव को जलाकर अपराध के साक्ष्यों को भी मिटाने का प्रयास किया। इसलिए विवादित निर्णय एवं आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

17. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के उपरान्त, इस न्यायालय ने मामले के समस्त अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

18. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित किए जा चुके हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत घटना के केवल तीन प्रमुख गवाह हैं, अर्थात् पीडब्लू -1 राजाराम, पीडब्लू -2 बाबूलाल तथा पीडब्लू -3 बाबू खाँ। अतः आगे बढ़ने से पूर्व इन तीनों गवाहों की गवाही का सूक्ष्म परीक्षण किया जाना उचित होगा। पीडब्लू -1 राजाराम ने अपनी गवाही में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके पुत्र गोविन्द राम को झूठे हत्या के मुकदमे में फँसा दिया गया था। उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के पश्चात वे दिनांक 04.06.1981 को जेल से रिहा हुए और झाँसी की न्यू बस्ती स्थित अपने घर पहुँचे, जहाँ उनका छोटा पुत्र शिव नारायण तथा अपीलकर्ता संख्या-5 कम्मोद उपस्थित थे। शिव नारायण ने उन्हें बताया कि अपीलकर्ता संख्या-5 कम्मोद कह रहा है कि राम नारायण आदि, जिन्होंने वादी तथा उसके बड़े पुत्र को झूठे मुकदमे में फँसाया था, अब अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं और विवाद का समझौता करना चाहते हैं, जिससे वादी के बड़े पुत्र गोविन्द राम को भी जमानत मिल सके। अपीलकर्ता संख्या-5 कम्मोद ने भी वादी से यही बात कही। इस पर वादी ने शिव नारायण से कहा कि उक्त व्यक्तियों से उनकी पुरानी शत्रुता है, इसलिए उनके साथ नहीं जाना चाहिए।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



19. इस गवाह ने आगे कहा कि दिनांक 05.06.1981 को वह कलेक्टरेट में नियत तिथि पर उपस्थित होने गया था। इसके बाद वह अपने गाँव चला गया और दिनांक 07.06.1981 को झाँसी स्थित अपने घर वापस लौटा। वहाँ पहुँचने पर उसे ज्ञात हुआ कि शिव नारायण घर से गायब है। तब उसने आसपास के लोगों से पूछताछ की। इस पर भागीरथ और लखन ने बताया कि दिनांक 06.06.1981 को शिव नारायण कम्मोद के साथ गया था और उन्होंने उसे कचहरी चौराहे के पास देखा था। पूछने पर शिव नारायण ने बताया था कि वह विवाद का समझौता करने जा रहा है। इस गवाह ने आगे कहा कि उसने 07 जून तक प्रतीक्षा की और फिर 08 जून को अपने पुत्र की तलाश में गाँव गया। उसने अपने विभिन्न रिश्तेदारों के यहाँ भी शिव नारायण की खोज की, किन्तु जब उसका कोई पता नहीं चला, तब वह 09.06.1981 को प्रातः लगभग 9 बजे झाँसी वापस आया। इसके पश्चात उसने हरगोविन्द से रिपोर्ट लिखवाई और उस पर अपने हस्ताक्षर किए, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

20. जिरह में इस गवाह ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता संख्या-1 राम नारायण से उसकी शत्रुता चकबंदी संबंधी मामलों को लेकर थी। हालांकि उसने यह भी कहा कि अपीलकर्ता संख्या-5 कम्मोद से उसकी कोई शत्रुता नहीं थी। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि वर्ष 1979 में भी उसके बड़े पुत्र गोविन्द राम ने राम नारायण के विरुद्ध उसके अपहरण के संबंध में एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। उसने यह भी कहा कि उसे यह जानकारी नहीं है कि उसके बड़े पुत्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 211 के अंतर्गत कोई कार्यवाही की गई थी या नहीं। उसने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसके पुत्र का न तो अपहरण हुआ और न ही उसकी हत्या की गई। इसके अतिरिक्त, इस गवाह को प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्बन प्रति सिद्ध करने के लिए पुनः बुलाया गया, क्योंकि मूल तहरीर और मूल एफ.आई.आर. उपलब्ध नहीं थीं। जिरह में उसने स्वीकार किया कि दिनांक 06.06.1981 को वह झाँसी में उपस्थित नहीं था और उसने भागीरथ से दिनांक 05.06.1981 को मुलाकात की थी। तत्पश्चात उसने कहा कि वह 06.06.1981 को भागीरथ से मिला था, फिर इस बात से इंकार किया कि वह 06.06.1981 को भागीरथ से मिला था। बाद में उसने पुनः कहा कि वह 05.06.1981 को शाम 5 बजे भागीरथ से मिला था। उसने यह भी कहा कि दिनांक 05.06.1981 को भागीरथ ने उसे कोई सूचना नहीं दी थी। आगे उसने कहा कि जब वह अपने पुत्र शिव नारायण की तलाश कर रहा था, तब बाबूलाल ने उसे बताया कि दिनांक 07.06.1981 को उसने शिव नारायण को झाँसी बस स्टैंड के पास देखा था। किन्तु उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि ऐसा था, तो उसकी लिखित रिपोर्ट में गवाह बाबूलाल का नाम क्यों नहीं दर्ज किया गया।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



21. पीडब्लू -2 बाबूलाल ने अपने बयान में कहा कि दिनांक 06.06.1981 को लगभग दोपहर 2 बजे वह झाँसी बस स्टैंड पर मौजूद था। वहाँ उसने पीड़ित शिव नारायण और कम्मोद को देखा। उसने शिव नारायण से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। इस पर शिव नारायण ने उत्तर दिया कि वह कम्मोद के साथ राम नारायण से विवाद का समझौता करने जा रहा है। उस समय शिव नारायण के पास एक साइकिल थी और उसने अपने हाथ में घड़ी पहन रखी थी। जिरह में इस गवाह ने स्वीकार किया कि वह पहले से ही शिव नारायण तथा गोविन्द राम को जानता था, क्योंकि वे उसके घर के पड़ोस में रहते थे। उसने आगे कहा कि उसका बयान दिनांक 26.07.1981 को थाना समथर में दर्ज किया गया था। थाना समथर का एक सिपाही उसे बुलाने आया था और उसने बताया था कि झाँसी से एक उपनिरीक्षक उसका बयान दर्ज करने आया है। उसने उपनिरीक्षक को यह भी बताया था कि शिव नारायण के पास साइकिल थी और उसने हाथ में घड़ी पहन रखी थी। किन्तु यदि यह तथ्य उसके पुलिस बयान में अंकित नहीं है, तो वह यह नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों नहीं लिखा गया।

22. अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू -3 बाबू खाँ ने अपने बयान में कहा कि लगभग तीन वर्ष पूर्व वह सायं लगभग 5:30 बजे पंडोखर रोड स्थित पुलिया के पास शौच के लिए गया था। उसी समय नरोत्तम पंडोखर की ओर से आ रहा था। उसने बीड़ी/सिगार जलाने के लिए उससे माचिस माँगी। इसके बाद दोनों आपस में बातचीत करने लगे। तभी उसने देखा कि अभियुक्त कम्मोद और शिव नारायण पूर्व दिशा की ओर से आ रहे थे। शिव नारायण के पास एक साइकिल थी तथा उसने अपने हाथ में कलाई घड़ी पहन रखी थी। वे लोग बाग (हॉर्टीकल्चर फील्ड) की दिशा से आ रहे थे। इसके पश्चात राम नारायण, भगवत, जगदीश, प्रभु तथा भोले उक्त बाग की ओर से बाहर आए और उन्होंने शिव नारायण से बातचीत प्रारम्भ कर दी। तत्पश्चात शिव नारायण और अन्य व्यक्ति आपस में बातचीत करते हुए दतावली की ओर स्थित बाग की दिशा में चले गए। उसके बाद यह गवाह वापस अपने घर चला गया। उसने यह भी कहा कि उसके बाद उसने शिव नारायण को कभी नहीं देखा। जिरह में इस गवाह ने कहा कि उक्त बाग पुलिया से लगभग सौ कदम की दूरी पर स्थित था। शिव नारायण और कम्मोद पुलिया तक आए थे। उसके बाद राम नारायण आदि उसी बाग से निकलकर आए थे। उसने यह भी स्पष्ट किया कि शिव नारायण और कम्मोद आगे चल रहे थे, जबकि शेष व्यक्ति उनसे लगभग 25 फीट पीछे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद सभी लोग एकत्र हो गए और आपस में बातचीत करते हुए पुलिया से उत्तर दिशा में स्थित खेतों की ओर चले गए।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



23. इस प्रकार, उपर्युक्त प्रमुख गवाहों के बयानों से अभियोजन पक्ष का मामला यह उभरकर सामने आता है कि दिनांक 06.06.1981 को पीड़ित शिव नारायण, राम नारायण के साथ विवाद का समझौता करने के उद्देश्य से कम्मोद के साथ गया था। पीडब्लू -2 बाबूलाल ने झाँसी में पीड़ित को अपीलकर्ता संख्या-5 कम्मोद के साथ देखा था और पूछने पर शिव नारायण ने स्वयं बताया था कि वह राम नारायण एवं अन्य व्यक्तियों के साथ विवाद का समझौता करने हेतु गाँव जा रहा है। इसी प्रकार, पीडब्लू -3 बाबू खाँ ने यह कहा कि उसने पीड़ित को अपीलकर्ता संख्या-5 कम्मोद के साथ देखा था तथा अन्य अभियुक्त पीछे से आ रहे थे। वे कम्मोद और शिव नारायण से लगभग 25 कदम पीछे थे। तत्पश्चात कुछ दूरी पर सभी लोग एकत्र हो गए और आपस में बातचीत करते हुए नहर के निकट पुलिया से उत्तर दिशा की ओर स्थित खेतों की तरफ चले गए। पीडब्लू -3 के अनुसार, उसके बाद उसने शिव नारायण को फिर कभी नहीं देखा।

24. उपर्युक्त साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि पीड़ित का शरीर न तो जीवित अवस्था में और न ही मृत अवस्था में बरामद किया गया। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि शिव का कोई अवशेष प्राप्त हुआ हो अथवा उसका संबंध पीड़ित शिव नारायण से स्थापित किया जा सका हो। अभिलेख पर ऐसा भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि अभियुक्तगण अथवा वर्तमान अपीलकर्ताओं में से किसी ने पीड़ित के विरुद्ध किसी प्रकार का बल प्रयोग किया हो, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उन्होंने उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया था। पीडब्लू -2 और पीडब्लू -3 के बयान केवल इतना प्रदर्शित करते हैं कि पीड़ित को अभियुक्तों के साथ देखा गया था; किन्तु ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने पीड़ित को उसकी इच्छा के विरुद्ध अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा था। अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 के अंतर्गत अपराध के आवश्यक तत्वों को समझने के लिए, धारा 359 में वर्णित " (अपहरण)", धारा 362 में वर्णित " (व्यपहरण/बहला-फुसलाकर ले जाना)", तथा धारा 365 में वर्णित अपराध की परिभाषा का अवलोकन करना प्रासंगिक होगा, जो निम्नवत् है—

धारा 359, 362 और 365

धारा 359. अपहरण.- अपहरण दो प्रकार का होता है, अर्थात्— (i) भारत से अपहरण, तथा (ii) विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



धारा 362 - व्यपहरण .- जो कोई किसी व्यक्ति को बल प्रयोग करके अथवा किसी कपटपूर्ण उपाय (छल या धोखे) से किसी स्थान से जाने के लिए विवश करता है या प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का व्यपहरण करता हुआ कहा जाता है।

धारा 365. - किसी व्यक्ति को गुप्त एवं अवैध रूप से निरुद्ध करने के आशय से अपहरण या व्यपहरण .- जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण इस आशय से करता है कि उस व्यक्ति को गुप्त रूप से तथा अवैध रूप से निरुद्ध किया जाए, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, दण्डित किया जाएगा और साथ ही जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

25. अपहरण की परिभाषा में किसी व्यक्ति का विधिसम्मत अभिभावकत्व से अपहरण अथवा भारत से अपहरण सम्मिलित है। वर्तमान मामले में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों में अपहरण के अपराध से संबंधित न तो कोई स्पष्ट आरोप है और न ही उसका कोई संकेत मिलता है। जहाँ तक व्यपहरण का प्रश्न है, पीडब्लू-1 राजाराम के बयान से यह आशंकात्मक साक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है कि अपीलकर्ता संख्या-5 कम्मोद ने अन्य अपीलकर्ताओं के उकसावे पर, पूर्व शत्रुता के कारण, पीड़ित शिव नारायण को बहला-फुसलाकर अपने साथ चलने के लिए प्रेरित किया था। यह परिस्थिति कुछ सीमा तक यह इंगित कर सकती है कि अपीलकर्ता संख्या-5 द्वारा पीड़ित को प्रलोभन अथवा बहकावे के माध्यम से साथ ले जाने का कृत्य व्यपहरण की श्रेणी में आ सकता है। किन्तु, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 के अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को केवल व्यपहरण सिद्ध करना पर्याप्त नहीं है। धारा 365 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए अभियोजन को यह भी सिद्ध करना आवश्यक है कि— पीड़ित को गुप्त रूप से तथा अवैध रूप से निरुद्ध करने का आशय था अथवा वास्तव में उसे इस प्रकार अवैध निरुद्ध किया गया था। अर्थात्, केवल यह सिद्ध हो जाना कि पीड़ित अभियुक्तों के साथ गया था अथवा उसे बहला-फुसलाकर ले जाया गया था, धारा 365 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, पीड़ित के अवैध निरुद्धीकरण से संबंधित स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य का होना भी आवश्यक है।

26. अपीलकर्ता संख्या-5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत **आपराधिक अपील संख्या 798 वर्ष 2023, याकूब खान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी, थाना-ए.जे.के., कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ के माध्यम में** दिनांक 09.11.2023 को पारित निर्णय एवं आदेश में खण्डपीठ ने निम्नलिखित अवलोकन किया था—

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"11. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 के अंतर्गत वर्णित अपराध का सार यह है कि यह अपहरण तथा व्यपहरण के अपराध का एक गंभीर रूप है। अपहरण की परिभाषा धारा 360 एवं 361 में तथा व्यपहरण की परिभाषा धारा 362 में दी गई है। धारा 365 तब लागू होती है जब अपहरण या व्यपहरण इस आशय से किया गया हो कि पीड़ित को गुप्त रूप से तथा अवैध रूप से निरुद्ध किया जाए। धारा 365 यह भी स्पष्ट करती है कि जहाँ किसी व्यक्ति का अपहरण इस उद्देश्य से किया जाता है कि उसे अपहरणकर्ताओं द्वारा फिरौती के लिए बंधक बनाकर रखा जाए, वहाँ यह धारा लागू होगी। अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करना आवश्यक है—

(i) अभियुक्त द्वारा अपहरण अथवा व्यपहरण किया गया हो;

(ii) अभियुक्त का यह आशय रहा हो कि जिस व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण किया गया है, उसे गुप्त रूप से अथवा अवैध रूप से निरुद्ध करके रखा जाए।"

"12. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 के आवश्यक अवयवों को सिद्ध करने के लिए यह अनिवार्य है कि व्यपहरण का तत्व विद्यमान हो। यदि व्यपहरण सिद्ध नहीं होता, तो धारा 365 के अंतर्गत अपराध भी स्थापित नहीं होता। अवैध निरुद्धीकरण के आरोप को सिद्ध करने के लिए वास्तविक शारीरिक बंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण होना सदैव आवश्यक नहीं है। यदि उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रदर्शित हो कि अभियुक्त के आचरण और परिस्थितियों के कारण पीड़ित के मन में ऐसी उचित आशंका उत्पन्न हो गई थी कि उसकी स्वतंत्रता सीमित कर दी गई है, तो यह पर्याप्त हो सकता है। अभियुक्त का आशय उसके बाद के कृत्यों और आचरण से भी अनुमानित किया जा सकता है।"

27. पीड़ित को अवैध रूप से परिरुद्ध किए जाने के संबंध में अभियोजन पक्ष का साक्ष्य पूर्णतः मौन है। अतः इस संबंध में साक्ष्य के अभाव में यह न्यायालय अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराए जाने का कोई औचित्य नहीं पाता है।

28. अपीलकर्ताओं के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज बयानों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि धारा 365 आई.पी.सी. से संबंधित आपत्तिजनक साक्ष्यों के संबंध में किसी भी अभियुक्त से कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों के तीसरे समूह का अवलोकन करने पर, विशेष रूप से तीसरे समूह के दूसरे आरोप का सूक्ष्म परीक्षण करने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त आरोप

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



केवल अपीलकर्ता संख्या 5, कम्मोद के विरुद्ध आरोपित किया गया था, न कि अन्य किसी अभियुक्त के विरुद्ध। यद्यपि प्रथम एवं तृतीय आरोपों में संशोधन किए गए थे, तथापि तीसरे समूह के दूसरे आरोप में कोई संशोधन नहीं किया गया, जिससे अन्य अभियुक्तों को उस आरोप में सम्मिलित किया जा सके। यदि आरोप निर्धारित करने वाले न्यायालय का आशय अन्य अपीलकर्ताओं को भी उक्त आरोप में सम्मिलित करने का होता, तो अन्य अभियुक्तों के नाम जोड़ने हेतु आवश्यक संशोधन दूसरे आरोप में भी किए जाते, जैसा कि प्रथम और तृतीय आरोपों में किया गया था।

29. आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय (trial court) इस धारणा के आधार पर आगे बढ़ा कि धारा 364 आई.पी.सी. का आरोप सभी अपीलकर्ताओं के विरुद्ध निर्धारित किया गया था, जबकि ऊपर वर्णित अनुसार उक्त आरोप केवल अपीलकर्ता संख्या 5 के विरुद्ध ही निर्धारित किया गया था। फलस्वरूप, अन्य अपीलकर्ताओं अर्थात् अपीलकर्ता संख्या 1 से 4 को धारा 365 के अपराध के लिए बिना किसी आरोप के दोषसिद्ध कर दिया गया और उन्हें उक्त आरोप का प्रतिरक्षण करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। जहाँ तक अन्य आरोपों का प्रश्न है, उन सभी से अपीलकर्ताओं को पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 364 अथवा धारा 365 आई.पी.सी. के अंतर्गत कोई आरोप निर्धारित न किए जाने के कारण, धारा 365 के अंतर्गत उनकी दोषसिद्धि विधिसम्मत नहीं ठहराई जा सकती; विशेषकर तब, जब उन्हें उक्त आरोप का प्रतिवाद करने का अवसर भी नहीं दिया गया और न ही उस आरोप के संबंध में कोई आपत्तिजनक सामग्री उनके समक्ष रखी गई। इसके अतिरिक्त, यह न्यायालय पूर्व में ही यह उल्लेख कर चुका है कि अभिलेख पर अवैध परिरोधन से संबंधित कोई ऐसा आपत्तिजनक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 365 का अपराध सिद्ध माना जा सके।

30. **शरद बिर्धिचंद सरदा (उपर्युक्त), कलि राम (उपर्युक्त), रामेन्द्र राजेश खन्ना रेड्डी (उपर्युक्त), दिलशाद (उपर्युक्त) तथा काशी राम (उपर्युक्त)** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि जब तक पीड़ित व्यक्ति की बरामदगी न हो जाए तथा स्वयं पीड़ित द्वारा स्पष्ट रूप से यह न कहा जाए कि अभियुक्तों द्वारा उसे अवैध रूप से परिरुद्ध किया गया था, तब तक अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 365 आई.पी.सी. का अपराध सिद्ध नहीं माना जा सकता।

31. उपर्युक्त विवेचना के आलोक में, यह न्यायालय अपीलकर्ताओं को धारा 365 आई.पी.सी. के अपराध के लिए दोषसिद्ध करने का कोई न्यायोचित कारण नहीं पाता है। तदनुसार, यह अपील **स्वीकार** की

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जाती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार सभी अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को धारा 365 आई.पी.सी. के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

32. चूँकि अपीलकर्ता संख्या 2 से 5 जमानत पर हैं, अतः उनके जमानत बन्धपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा उनके प्रतिभू दायित्वमुक्त किए जाते हैं।

33. विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाए ताकि उसे अभिलेखागार में नियमानुसार संधारित किया जा सके।

34. यह न्यायालय श्री पंकज कुमार शुक्ला, अमिक्स क्यूरी द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना करता है। उनके द्वारा दी गई सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप नियमों के अनुसार उन्हें ₹10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) का मानदेय प्रदान किया जाएगा।

फरवरी 2, 2026

शुभम आर्य

(न्यायमूर्ति अनिश कुमार गुप्ता,)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"